

Belm ✓

UT

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन,
झाँसी रोड, ग्वालियर-474002
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
MADHYA PRADESH, GWALIOR**

क्र.प्रशा.12/स-1/NPS-OPS/का.आ./106

दिनांक:- 27.10.2023

कार्यालय आदेश/ Office Order

मुख्यालय के परिपत्र क्र. 03/298/सी.ए.-1/118-2022 /एन.पी.एस. दिनांक 24.03.2023 के साथ प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 57/05/2021- P&PW (B) दिनांक 03.03.2023 के तारतम्य में कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी कमान) पुणे के पत्र संख्या 0.0. No./ 638 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा श्री भरत लाल मीना को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) में अंतरण हेतु पात्र घोषित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) में अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Consequent upon declared eligible for switching over to Central Civil Services (Pension) Rules 1972 (Now 2021) vide O/o Principal Controller of Defence Accounts (Southern Command), Pune's letter No. O.O. No. 638 dated 11.10.2023, on the basis of option submitted by Shri Bharat Lal Meena, under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare O.M. No. 57/05/2021-P& PW (B) dated 03.03.2023, received vide Headquarter's Circular No. 03/298/CA-I/118-2022 dated 24.03.2023, he is allowed to switch over to Central Civil Services (Pension) Rules 1972 (Now 2021) from National Pension System 2004 by the competent authority.

श्री भरत लाल मीना के एन.पी.एस. खाते को दिनांक 31.12.2023 तक बंद किया जाना है एवं इनके द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाते को सब्सक्राइब किया जाना है। इनके खाते का समायोजन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 57/05/2021- P&PW (B) दिनांक 03.03.2023 के पैरा 08 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

The NPS accounts of Shri Bharat Lal Meena is to be closed w.e.f. 31.12.2023 and the officer is required to subscribe to the General Provident Fund. Adjustment of the NPS account of the said officer is to be done as per provisions of Para 8 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare O.M. No. 57/05/2021-P& PW (B) dated 03.03.2023.

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

दिनांक:- 20.10.2023

क्र.प्रशा.12/स-1/NPS-OPS/का.आ./STR-I/258-261

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र. ग्वालियर ।
2. वरि.उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), म.प्र. ग्वालियर ।
3. वरि.उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक्र.)-प्रथम, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी कमान) पुणे को कार्यालय आदेश क्र. 638 दिनांक 11.10.2023 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।
5. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले एवं हक्र.)-1 मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, हिंदी कक्ष, विधि कक्ष, प्रशिक्षण एवं परीक्षा, रिपोर्ट (सिविल), रिपोर्ट (PAC), आंतरिक लेखापरीक्षा ।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-13, 14 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस.विंग को "Administration personnel" लिंक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु तथा OIOS एवं E-Office में अद्यतन करने हेतु ।
9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशा-14 को इंटरनेट/ इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु ।
10. महामंत्री, ऑडिट वेल्फेयर एसोसिएशन, ग्वालियर ।
11. श्री भरत लाल मीना, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ।
12. सूचना पटल/गार्ड फाइल ।

Syhanji

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12